भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *9

उत्तर देने की तारीख 18.11.2019

'जनजातीय समुदाय'

***9. श्री कनकमल कटाराः**

श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान सहित देश में जनजातीय समुदायों के परंपरागत घरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में जनजातीय समुदायों के लोगों के जीवन की रक्षा करने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सहित देश में शौचालय सुविधा से रहित जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले घरों में वर्तमान में भी रह रहे जनजातीय समुदायों का ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालय की पढ़ाई अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इन समुदायों के लिये प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता का पूर्ण उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जनजातीय समुदाय परंपरागत रूप से, स्थानीय रूप से उपलब्ध निम्न प्रकार की सामग्रियों से अपने आवास का निर्माण कर रहे हैं:

स्थायी घर	ठोस सामग्री जैसे मसाले के साथ पत्थर, बिना मसाले के साथ पत्थर, पकाई हुई ईंट , पत्थर या कंक्रीट से निर्मितदीवार और छत वाले घर।
अर्ध-स्थायी घर	दीवार स्थायी सामग्री से तथा छतअस्थायी सामग्री जैसे घांस , छप्पर, बांस, पॉलिथीन, प्लास्टिक, लकड़ी आदि से बनाई जाती है।
मरम्मत किये जा सकने वाले अस्थायी घर	दीवार मिट्टी, कच्ची ईंट या लकड़ी से बनी होती है।
अस्थायी घर	अस्थायी सामग्री से बनी दीवार और छत वाले घर। दीवार घांस , छप्पर, बांस, प्लास्टिक, पॉलिथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट या लकड़ी आदि से बनी हुई हो सकती है । छत घास , छप्पर, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक या पॉलिथीन से बनी हो सकती है।
मरम्मत न किए जा सकने वाले अस्थायी घर	दीवार घास, छप्पर, बांस प्लास्टिक या पॉलिथीन आदि से बनी होती है

(ख) : जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/ अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) भारत के पूर्वोत्तर भाग सहित देश भर में जनजातीय विकास के लिए निधि का समर्पित स्रोत है। इससे पहले , वर्ष 2010-11 में 28 केंद्रीय मंत्रालयों को टीएसपी / एसटीसी निधियों के लिए निर्धारित किया गया था , जो आज तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए 41 मंत्रालयों / विभागों तक बढ़ गया है। जनजातीय विकास के लिए प्रति वर्ष 41 केंद्रीय मंत्रालयों को उनके कुल स्कीम आवंटन में 4.3% से 17.5% तक की सीमा में जनजातीय उप-योजना निधियां निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसने सरकार को नियमित रूप से केंद्रीय निधियों के आवंटन का एसटीसी के तहत वर्ष 2014-15 में 19 ,961 करोड़ रू. से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में 51,283.53 करोड़ रू. तक संवर्धित करने में सक्षम बनाया है :

वर्ष	**बजट आवंटन (सं.अ)**
2014-15	19961.29
2015-16	20177.62
2016-17	24671.58
2017-18	31292.20
2018-19	39545.48
2019-20	51283.53 (ब.अ. आवंटन)

राज्य सरकार के साथ लगातार अनुनय और नियमित परामर्श से टीएसपी निधियों के आवंटन में, वर्ष 2014-15 में 83,167 करोड़ रु. से 2018-19 में 1,52,494 करोड़ रू. काफी वृद्धि हुई है (जो लगभग 83% की वृद्धि है) और ब्लाक वर्ष 2010-13 (जिसमें कुल 1 ,65,691 रू. करोड़ खर्च किए गए) से वर्ष 2014-17 (जिसमें कुल 3 ,27,574 करोड़ रू. खर्च किए गए) के दौरान राज्यों द्वारा राज्य जनजातीय उप-योजना निधियों के व्ययों में 98% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

देश में जनजातीय बहूल क्षेत्रों में अवसंरचना विकास तथा जनजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का प्रमुख भाग को शिक्षा , स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका, आवास, पेयजल और स्वच्छता , रोजगार सृजन, कौशल विकास, महिला और बाल विकास आदि के लिए, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान सहित देश भर में तथा 25% या अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीयों को लाभ प्रदान करने संबंधी क्षेत्रीय उपलब्धियों तथा अंतरों के ब्यौरे **अनुलग्नक 1** में है :-

(ग) : 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थानसहित देश भर में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के घरों की स्थिति संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार है:

घरों की स्थिति	सभी सामाजिक समूह	अजजा
कुल घर	246,692,667	23,329,105
अच्छे घर	13,09,93,806	94,71,616
रहने योग्य मकान	10,24,76,133	1,23,94,753
जीर्ण-शीर्ण मकान	1,31,98057	14,58,069

2011 की जनगणना के अनुसार शौचालय की सुविधा वाले अजजा के घरों का विवरण **अनुलग्नक 2** पर है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) की प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान, राजस्थान सहित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 53,91,603 नए घर स्वीकृत किए गए। जिसमें से अब तक 44,55,091 घरों को पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है।स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में शौचालयों के साथ घरों की पूर्ण कवरेज प्राप्त हो गई है। वर्ष 2013-14 से शौचालय निर्माण की उपलब्धि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 3** पर है।

राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के बीच ड्रॉपआउट (स्कूल छोड़ने) की दर निम्नानुसार है:

शिक्षा का स्तर	बालक	बालिका	कुल

प्राथमिक	8.76	9.20	8.97
उच्च प्राथमिक	5.75	4.59	5.23

स्रोत: यू-डीआईएसई(शिक्षा संबंधी जिला सूचना प्रणाली) 2016-17

(घ) तथा (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय उप-स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता ' की स्कीम के तहत वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिएउनको निर्मुक्त निधियों तथा उनके द्वारा सूचित उपयोगिता के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-4** में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्मुक्त राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध 5** पर है।

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक 1

जनजातीय बहुल ग्राम-वार अवसंरचनात्मक विश्लेषण - अखिल भारतीय

क्र.सं.	ग्रामवार अवसंरचना विवरण		117064 जनजातीय बहुल गाँवों में से गाँवों की संख्या
1	गाँव में बैंकों की उपलब्धता		10945
	बैंक उपलब्ध नहीं, दूरी,जहां सुविधा उपलब्ध है	< 1 किमी	1674
		1-2 किमी	5785
		2-5 किमी	24751
		5-10 किमी	34106
		>10 किमी	39786
2	यदि गाँव में बैंक उपलब्ध नहीं है तो 'इंटरनेट कनेक्टिविटी' के साथ बैंक व्यवसाय संवाददाता की उपलब्धता /		12639
3	एटीएम की उपलब्धता		8173
4	नया गाँव पक्की सड़क(ऑल वेदर रोड) से जुड़ा है		77551
5	गाँव में आंतरिक सीसी ईंटों वाली सड़क है		67531
6	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता	बस	33009
		वैन	13978
		ऑटो	34144
		कुछ नहीं	34999
7	इंटरनेट कैफे /साझा सेवा केंद्र की उपलब्धता		19979
8	घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता	1-4 घंटे	7868
		5-8 घंटे	19586
		9-12 घंटे	35010
		>12 घंटे	47407
		बिजली नहीं	7176
9	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धता (पीडीएस)		58068
10	बाजारों की उपलब्धता	मंडियां	2989
		नियमित बाजार	5631
		साप्ताहिक बाजार	18327
		कोई नहीं	90100
11	नलों के पानी की उपलब्धता	100% पर्यावास शामिल	12150
		50-100%	17658
		< 50% शामिल पर्यावास	18647
		केवल पर्यावास शामिल 1	6936

क्र.सं.	ग्रामवार अवसंरचना विवरण		117064 जनजातीय बहुल गाँवों में से गाँवों की संख्या
		किया गयाहै	
		कवर नहीं किया गया	61656
12	टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता	लैंडलाइन	1012
		मोबाइल	87650
		दोनों	10847
		कोई नहीं	17538
13	स्वच्छ ऊर्जा (बायोगैस / एलपीजी) का उपयोगकरने वाले घरों की कुल संख्या	कुल घर - 21444823	9359939
14	कच्ची की दीवार और कच्ची छत वाले घरों कीसंख्या	कुल घर - 21444823	9114133
15	डाकघर उप /-डाकघर की उपलब्धता		22808
16	विद्यालय की उपलब्धता	प्राथमिक	61230
		माध्यमिक विद्यालय	26155
		उच्च विद्यालय	10642
		>वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	5519
		कोई विद्यालय नहीं	13501
17	व्यावसायिक शैक्षिक केंद्र -डीडीयू / आरएसईटीआई / आईटीआई / जीकेवाई की उपलब्धता		9366
18	उप केंद्र की उपलब्धता	पीएचसी	3453
		सीएचसी	7114
		उपकेन्द्र	18185
		कोई नहीं	88295
	यदि उप केंद्र>गांव में उपलब्ध नहीं है,निकटतम जगह की दूरी जहां सुविधाउपलब्ध है	< 1 किमी	2164
		1-2 किमी	7110
		2-5 किमी	23365
		5-10 किमी	25144
		>10 किमी	28031
19	पशु चिकित्सा क्लिनिक अस्पताल की उपलब्धता		15654
20	यदि पशु चिकित्सा क्लिनिक में गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम तो दूरीजगह जहां सुविधा उपलब्ध है	< 1 किमी	1379
		1-2 किमी	4844
		2-5किमी	21356
		5-10किमी	31518
		>10किमी	42412

क्र.सं.	ग्रामवार अवसंरचना विवरण		117064 जनजातीय बहुल गाँवों में से गाँवों की संख्या
21	जल निकासी हेतु सुविधाओं की उपलब्धता	बंद जल निकास	5247
		टाइल्स के स्लैब से ढका हुआ खुला पक्का नाला	3270
		खुला पक्का नाला, खुलाहुआ	16585
		खुली हुई कच्ची जल निकासी	33882
		जल निकासी नहीं	58063
स्रोत: जनगणना एवं मिशन अंत्योदय 2011			
नोट :अखिल भारत में लगभग 145000 गाँव हैं जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी रहती है, जिसमें से 31.08.2019तक missionantyodaya.nic.in वेबसाइट पर केवल 117064गांवों से संबद्ध मिशन अंत्योदय अवसंरचनात्मकअंतर डेटा उपलब्ध है।			

अनुलग्नक 2

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार शौचालय की सुविधा वाले घर का प्रतिशत						
राज्य का नाम	परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा नहीं रखने वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच जाना	
	अजजा	सभी	अजजा	सभी	अजजा	सभी
भारत	**22.6**	**46.9**	**77.4**	**53.1**	**74.7**	
जम्मू और कश्मीर	26.7	51.2	73.3	48.8	71.1	46.1
हिमाचल प्रदेश	62	69.1	38	30.9	36.7	29.7
उत्तराखंड	46.1	65.8	53.9	34.2	51.5	33.1
राजस्थान	7.9	35	92.1	65	91.7	64.3
उत्तर प्रदेश	35.5	35.6	64.5	64.4	62.3	63
बिहार	13.7	23.1	86.3	76.9	85	75.8
सिक्किम	85.9	87.2	14.1	12.8	12.8	11.3
अरुणाचल प्रदेश	58.4	62	41.6	38	38.8	34.8
नागालैंड	74.8	76.5	25.2	23.5	17.8	16.5
मणिपुर	82.3	89.3	17.7	10.7	16.4	8.9
मिजोरम	91.9	91.9	8.1	8.1	6.6	6.6
त्रिपुरा	63.7	86	36.3	14	30.3	11.5
मेघालय	61	62.9	39	37.1	36.2	34.3
असम	43.3	64.9	56.7	35.1	54	33.2
पश्चिम बंगाल	24.4	58.8	75.6	41.2	73.2	38.6
झारखंड	8.3	22	91.7	78	90.8	77
ओडिशा	7.1	22	92.9	78	91.6	76.6
छत्तीसगढ़	14.8	24.6	85.2	75.4	84.6	74
मध्य प्रदेश	8.5	28.8	91.5	71.2	90.9	70
गुजरात	24.3	57.3	75.7	42.7	73.5	40.4
दमन और दीव	36.9	78.2	63.1	21.8	54.1	10.5
दादरा और नगर हवेली	16.9	54.7	83.1	45.3	80.8	40
महाराष्ट्र	30.1	53.1	69.9	46.9	59.7	34
आंध्र प्रदेश	19.5	49.6	80.5	50.4	78	48
कर्नाटक	28.7	51.2	71.3	48.8	66.9	45
गोवा	59.9	79.7	40.1	20.3	36.3	16.4

लक्षद्वीप	98.3	97.8	1.7	2.2	1.5	1.8
केरल	71.4	95.2	28.6	4.8	25.7	3.8
तमिलनाडू	34.7	48.3	65.3	51.7	60.3	45.7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	88.2	70.1	11.8	29.9	11.5	27.5
स्रोत: जनगणना2011						

अनुलग्नक 3

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (ग)के उत्तर में संदर्भित विवरण

2013-14 से 2019-20 के दौरान शौचालय निर्माण की राज्यवार जानकारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	घर के (एचएच) कवर								शेष कवर न किये गये घर	कवर किए गए घर (%)
		2013-14	2014-2015	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कवर किया गया कुल घर		
1.	आंध्र प्रदेश	138721	218242	350558	788495	2225154	245534	6	7104051	0	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	14433	12900	19428	42552	41460	2881	394	186333	0	100
3.	असम	160602	150735	463045	1054898	816435	742859	425	5232330	0	100
4.	बिहार	161646	165308	423980	872328	3433356	6133755	276342	15399055	0	100
5.	छत्तीसगढ	67457	39825	356284	1464591	1404526	67505	323	4845142	0	100
6.	गोवा	0	0	28637	0	0	0	0	156743	0	100
7.	गुजरात	155268	333097	912610	1541862	421121	26285	22333	5099519	0	100
8.	हिमाचल प्रदेश	9170	57977	62551	80519	10	17	145	1433783	0	100
9.	जम्मू और कश्मीर	68230	10168	59552	78557	573347	341772	205	1418041	0	100
10.	झारखंड	76818	98397	311314	831502	1203836	929028	140	3994028	0	100
11.	कर्नाटक	505697	778254	530833	719863	1434588	725415	3113	7031998	0	100
12.	केरल	39601	32534	11153	195024	0	2	0	4682729	0	100
13.	मध्य प्रदेश	515583	512400	1016692	1859828	2353800	749400	26	9056726	0	100
14.	महाराष्ट्र	559042	488402	882053	1916460	2252876	82939	23109	11054865	0	100
15.	मणिपुर	35442	28249	47168	41472	61528	72248	1427	441267	0	100
16.	मेघालय	29012	42001	44129	45973	87138	249	1	443083	0	100
17.	मिजोरम	4524	534	6026	2872	25012	46	685	121581	0	100
18.	नागालैंड	20102	103	22514	38073	19211	50880	543	256152	0	100
19.	ओडिशा	33759	131925	1325040	1263124	816203	2203146	934461	7717121	0	100
20.	राजस्थान	266197	610033	1998676	2644492	1976925	3740	674	9972101	0	100
21.	सिक्किम	3443	3562	3707	0	0	0	0	55364	0	100
22.	तमिलनाडू	313402	380047	946386	1139671	2206083	178536	12872	9368577	0	100
23.	तेलंगाना	180682	131955	238427	520029	1552975	469698	154975	4231452	0	100

24.	त्रिपुरा	6077	24780	60681	43778	33502	135446	8705	638541	0	100
25.	उत्तर प्रदेश	789092	509434	688745	1734508	5661669	8485265	6604	24931992	0	100
26.	उत्तराखंड	91084	57892	63971	334099	42985	6406	1620	1522428	0	100
27.	पश्चिम बंगाल	608218	845714	1430957	2318597	1006466	679081	5288	13535225	0	100
कुल :-		**4976294**	**5781636**	**12507794**	**21811892**	**30098652**	**22402334**	**1473244**	**155689573**	**0**	**100**

अनुलग्नक 4

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (घ) और (ड.)के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान टीएसएस को एससीएयोजना के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों और उनके द्वारा सूचित उपयोगिता विवरण

(*लाख रू. में*)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त यूसी	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त यूसी	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त यूसी
1	आंध्र प्रदेश	5000.42	5000.42	3624.77	3624.77	5617.3900	5617.39
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.8300	0.00
3	असम	3407.80	3403.21	0.00	0.00	0.0000	0.00
4	बिहार	743.74	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
5	छत्तीसगढ़	11717.82	11717.82	14327.57	13125.49	10342.6500	10342.65
6	गोवा	455.68	455.68	559.09	0.00	352.3100	0.00
7	गुजरात	9,488.00	9,488.00	10,270.41	9,934.63	11,765.38	11,597.56
8	हिमाचल प्रदेश	1959.39	1959.39	2291.20	2291.20	3627.9975	3517.26
	जम्मू और कश्मीर	3671.61	3671.61	3626.50	3626.500	3749.8000	749.96
10	झारखंड	9820.75	9220.75	11372.49	6166.76	8564.5200	2071.06
11	कर्नाटक	5100.00	5100.00	5955.37	4988.68	5347.7600	605.00
12	केरल	808.09	288.10	808.43	367.06	335.0000	0.00
13	मध्य प्रदेश	19236.61	17443.75	22828.70	13728.62	16968.9700	12192.00
14	महाराष्ट्र	9547.00	9547.00	13760.38	13760.38	13802.5700	2760.35
15	मणिपुर	2260.00	2260.00	3790.38	3790.38	5442.4800	420.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.2000	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.0000	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.0000	1612.50
19	ओडिशा	11806.27	11806.27	11975.00	5433.78	17553.2200	2899.72
20	राजस्थान	11072.90	11072.90	10051.83	10051.83	10327.9300	2093.58
21	सिक्किम	1497.62	1217.62	5986.00	644.91	0.0000	0.00
22	तमिलनाडु	600.00	516.91	894.10	800.09	315.0000	285.77
23	तेलंगाना	3845.35	3845.35	4493.55	4493.55	2850.3225	2850.32
24	त्रिपुरा	1345.76	1245.70	1649.77	1649.77	1294.3800	890.09
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	679.00	679.00	1012.8800	332.75
26	उत्तर प्रदेश	121.92	0.00	458.35	0.00	0.0000	0.00

27	पश्चिम बंगाल	5995.50	5995.50	5397.11	5397.11	5833.4100	5610.81
	कुल	**119502.230**	**115255.98**	**134800.00**	**104554.51**	**134500.00**	**66448.77**

अनुलग्नक 5

दिनांक 18.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *9 के भाग (घ) और (ड.) उत्तर में संदर्भित विवरण

केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनुसूचित जनजाति घटक से प्रदान की गई निधि का विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18			2018-19		
		राज्य सरकार को जारी की गयीनिधि	राज्यों में अन्य एजेंसियों को जारी की गयीनिधि	कुल	राज्य सरकार को जारी की गयीनिधि	राज्यों में अन्य एजेंसियों को जारी की गयीनिधि	कुल
1	आंध्र प्रदेश	719.36	26.26	745.62	874.24	36.17	910.41
2	अरुणाचल प्रदेश	693.12	21.29	714.41	658.88	32.68	691.56
3	असम	1301.62	123.13	1424.75	1113.24	135.4	1248.64
4	बिहार	345.52	28.46	373.98	465.62	38.28	503.9
5	छत्तीसगढ़	1805.31	224.43	2029.74	1688.33	248.6	1936.93
6	गोवा	22.29	7.14	29.43	24.38	3.13	27.51
7	गुजरात	1121.10	50.11	1171.21	1332.46	91.79	1424.25
8	हिमाचल प्रदेश	196.79	29.15	225.94	189.71	18.2	207.91
9	जम्मू और कश्मीर	679.49	28.67	708.16	581.42	82.66	664.08
10	झारखंड	1500.11	63.98	1564.09	1473.1	75.15	1548.25
11	कर्नाटक	678.53	37.14	715.67	645.94	43.14	689.08
12	केरल	138.60	46.03	184.63	175.17	46.47	221.64
13	मध्य प्रदेश	4158.16	70.86	4229.02	3370.14	73.44	3443.58
14	महाराष्ट्र	1286.38	606.74	1893.12	1626.04	818.15	2444.19
15	मणिपुर	404.46	29.04	433.5	369.28	48.79	418.07
16	मेघालय	488.30	48.17	536.47	582.58	16.11	598.69
17	मिजोरम	538.57	15.16	553.73	578.2	21.64	599.84
18	नागालैंड	521.17	64.01	585.18	668.69	66.97	735.66
19	ओडिशा	2114.44	85.26	2199.7	2302.07	77.17	2379.24
20	राजस्थान	2343.31	45.61	2388.92	2091.07	38.99	2130.06
21	सिक्किम	146.83	15.81	162.64	107.32	26.8	134.12

22	तमिलनाडु	259.05	52.97	312.02	241.57	44.42	285.99
23	तेलंगाना	629.32	219.85	849.17	593.84	150.95	744.79
24	त्रिपुरा	352.55	13.73	366.28	382.75	16.71	399.46
25	उत्तर प्रदेश	687.47	149.39	836.86	516.77	288.88	805.65
26	उत्तराखंड	138.15	33.18	171.33	151.67	30.76	182.43
27	पश्चिम बंगाल	1341.52	89.39	1430.91	1446.42	68.22	1514.64